न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा सभांग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री के0 सी0 वर्मा आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त, कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या: 1/2018/अपील/आर्म्स/झालावाड
दायरा दिनांक 2.7.2018
किस्म अपील: धारा 18 आयुद्ध अधिनियम 1959

उनवान

गुमानी शंकर आत्मज बद्रीलाल धाकड निवासी ग्राम मरायता तहसील व पुलिस थाना खानपुर जिला झालावाड राज0।

....अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर झालावाड।

....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री राकेश प्रजापति अभिभाषक अपीलार्थी
श्री हरिश शर्मा राजकीय अभिभाषक रेस्पो0

:: निर्णय ::

दिनांक 8.10.2018

अपीलार्थी ने यह अपील न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट झालावाड (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित आदेश क्रमांक/आर्म्स/न्याय/2017/1685 दिनांक 16.3.2017 (आदेश मे क्रम सं0 4 पर दर्ज) (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील धारा 18 आयुद्ध अधिनियम 1959 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे प्रस्तुत की हैं।xx

1 प्रस्तुत अपील के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा धारित शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 1798/03 को दिनांक 1.1.2016 से 31.12.2018 तक नवीनीकरण किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किये जाने पर चरित्र एवं आपराधिक पृष्ठभूमि के संबध मे पुलिस अधीक्षक झालावाड से रिपोर्ट ली गई जिला पुलिस अधीक्षक झालावाड ने अनुज्ञापत्रधारी के विरूद्ध संबधित थाने मे आपराधिक प्रकरण दर्ज होने से नवीनीकरण किये जाने मे असहमति प्रकट करते हुये नकारात्मक जांच रिपोर्ट प्रेषित किये जाने पर जांच रिपोर्ट का अवलोकन कर आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 के तहत प्रदत्त शक्तियों के आलोक मे अनुज्ञापत्रधारी (अपीलाधीन आदेश मे क्रम सं0 4 पर दर्ज) गुमानीशंकर का शस्त्र अनुज्ञापत्र जेरअपील आदेश से निरस्त किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा मे आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत अपील इस आशय के साथ पेश की गई कि निरस्तीकरण का मूल आधार प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 87/2016 धारा 365, 323, 325,387,456 आईपीसी जो जांच अनुसंधान मे उक्त प्रकरण दिनांक 26.8.2013 को आरोप पत्र सं0 109/2013 मे मात्र धारा 323, 341/34 आईपीसी मे ही रहकर चार्ज शीट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है जो विचाराधीन है जो प्रकरण गम्भीर आपराधिक प्रवृति का नही है। उक्त अनुज्ञापत्र वर्ष 2003 से दिनांक 31.12.2015 तक प्रभावी रहा है इस दौरान अपीलांट के विरूद्ध किसी भी प्रकार की शिकायत या रिपोर्ट इस संबध मे प्राप्त हुई ना ही अपीलांट ने शस्त्र अनुज्ञापत्र की शर्तो का उल्लधंन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने नवीनीकरण प्रार्थना पत्र अपीलांट को बिना सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिये जेरअपील आदेश से निरस्त किया है जो विधि के प्रावधान एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत व आर्म्स एक्ट के प्रावधानो के तहसील

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

न्यायोचित नही है अतः उक्त आदेश निरस्त किया जाना आवश्यक है। अपीलांट समाज मे प्रतिष्ठित व्यक्ति है राजनीति एवं समाज मे अच्छी मान प्रतिष्ठा है प्रार्थी जान माल की सुरक्षा हेतु लाईसेन्स की आवश्यकता है अतः जानकारी की तिथी से अपील पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील आदेश दिनांक 16.3.2017 निरस्त करते हुये अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञापत्र सं0 1798 बहाल कर पुनः नवीनीकरण किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे। xx

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक सुनी गई।xx

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील में उल्लेखित तथ्यो को दोहराया तथा कथन किया कि जेरअपील आदेश विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है अपीलांट के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होना मानकर अनुज्ञापत्र निरस्त किया है जबकि उक्त प्रकरण गम्भीर आपराधिक प्रवृति का नही है जो घटना के एक सप्ताह बाद ''आफ्टर थोट'' राजनैतिक द्वेषता के कारण परिवाद दर्ज कराया गया है वह वर्तमान मे न्यायालय मे विचाराधीन है जो अपीलांट के कण्डक्ट से संबधित नही है तथा ना ही शस्त्र के दुरूपयोग अथवा आर्म्स एक्ट मे निहित शर्तो की अवहेलना से संबधित है। बहस मे आगे यह भी प्रकट किया अधीनस्थ न्यायालय जेरअपील आदेश अपीलांट को सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है तथा आदेश स्पीकिंग आर्डर की तारीफ मे नही आता है क्योंकि एक ही आदेश से 6 अनुज्ञापत्रधारियों के लाईन्सेस निरस्त किये गये है। अतः अपील स्वीकार कर जेरअपील आदेश निरस्त किया जावे तथा अनुज्ञापत्र नवीनीकरण का आदेश प्रदान किया जावे। xx

4 विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस मे बताया कि पुलिस अधीक्षक झालावाड की रिपोर्ट अनुसार स्पष्ट है कि अपीलार्थी के विरूद्ध मुक0 सं0 87/13 धारा 365, 323, 325, 456 आईपीसी का थाने मे दर्ज हुआ है जो पेण्डिग कोर्ट है जिसको स्वयं अपीलार्थी भी स्वीकार करता है। ऐसी स्थिति मे प्रथम दृष्टया अपीलार्थी का आपराधिक प्रवृति का होना इंगित करता है तथा आपराधिक प्रवृति के व्यक्ति के पास शस्त्र का धारित रहना कतई उचित नही ठहराया जा सकता। उक्त तथ्यो के परिपेक्ष्य मे अपीलार्थी का आर्म्स अनुंज्ञापत्र निरस्त करने संबधी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 16.3.2017 न्यायोचित है। लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज योग्य है। xx

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा अपील देरी से पेश की गई है तथा विलम्ब अवधि क्षम्य हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा 5 अन्तर्गत प्रार्थना पत्र एवं स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र मे उल्लेखित तथ्यो के प्रतिउत्तर/खण्डन मे कोई जवाब अथवा साक्ष्य सबूत पेश नही किये गये ऐसी स्थिति अपीलांट द्वारा शपथ पत्र मे उल्लेखित तथ्यो को

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

अविश्वसनीय माने जाने का कोई आधार अभिलेख पत्रावली मे उपलब्ध नही है लिहाजा उक्त तथ्यो के परिपेक्ष्य मे प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है। अपील पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर विचार कर अवलोकन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख जिला पुलिस अधीक्षक झालावाड की रिपोर्ट कमांकःएसपीओ/झाला/डीएसबी/आर्म्स/16/3187 दिनांक 2.3.2016 से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के विरूद्ध मुकदमा नं0 87/13 धारा 365, 323, 325, 456 आईपीसी का दर्ज होकर वर्तमान मे न्यायालय मे पेण्डिग है इस तथ्य को स्वंय अपीलार्थी ने भी अपने अपील मिमो एंव बहस मे स्वीकार किया है जिससे प्रथम दृष्टया अपीलार्थी का आपराधिक प्रवृति का होना इंगित करता है लिहाजा आपराधिक प्रवृति के व्यक्ति के पास लोकशांति व लोकसुरक्षा के मध्यनजर शस्त्र का धारित रहना न्यायोचित नही ठहराया जा सकता। लिहाजा उक्त तथ्यो के परिपेक्ष्य मे हम अधीनस्थ न्यायालय के जेरअपील आदेश कमांक/आर्म्स/न्याय/2017/1685 दिनांक 16.3.2017 (आदेश मे कम सं0 4 पर दर्ज) को न्यायोचित पाते है। फलस्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।xx

6 निर्णय आज दिनांक 8.10.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(के0 सी0 वर्मा)
संभागीय आयुक्त
कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा